(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 85–दो/2006 – विरूद्व आदेश दिनांक 10–1–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 369/02–03 अपील

1– निर्भयदास पुत्र मुनिप्रसाद शुक्ला
2– श्रीमती सोमवती पत्नि निर्भयदास शुक्ला
3– लोकेश प्रसाद पुत्र निर्भयदास शुक्ला
4– लोकेन्द्र प्रसाद पुत्र निभयदास शुक्ला
सभी निवासी ग्राम खडडा तहसील
सिरमौर जिला रीवा मध्य प्रदेश । ——आवेदकगण

विरूद्व

1– मध्य प्रदेश शासन
2– रबीन्द्र शुक्ला पुत्र मुनिप्रसाद शुक्ला
निवासी ग्राम खडडा तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश । —— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

(अनावेदक क–1 के पैनल लायर)

(अनावेदक क–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 –09 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 369/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–1–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण व्दारा ग्रामा खडडा की भूमि सर्वे नंबर 341

रकबा 1.09 हैक्टर के अंश रकवा पर अतिक्रमण कर लिया, जिस पर से आवेदकगण के विरूद्व नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर ने प्रकरण कमांक 2 अ 68/2001–02 पॅजीबद्व किया एंव जांच उपरांत पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 9–12–2002 पारित किया तथा अतिक्रमण सिद्व होने से बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 126 अ–68/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–2003 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 369/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–1–2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । आवेदकगण पर प्रकरण धारा 248 के अंतर्गत नहीं बनता है क्योंकि भूमि सर्वे नंबर 341 के अंश रकबा पर आवेदकगण का सन 1975 के पूर्व से पुराना मकान बना है। अनावेदक कमांक 2 की झूॅठी शिकायत पर से कार्यवाही की गई है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त रीवा ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक कमांक –1 के पैनल लायर का तर्क है नायव तहसीलदार ने मौके की जॉच कराई गई है। अतिक्रमण प्रमाणित पाया गया है । शासकीय भूमि कीमती है जिस पर निर्माण करके अथवा अन्य प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही को अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने आदेश दिनांक 21–5–2003 में इस प्रकार विवेचित किया है :–

" अतिक्रामक को हलका पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई। हलका पटवारी से पंचनामा तैयार कराया गया। स्थगन आदेश भी जारी किया गया। स्थगन आदेश के बावजूद भी अतिक्रामक व्दारा निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया। "

अतः आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क विसंगतिपूर्ण है कि निर्मित मकान 1975 का अथवा उसके पूर्व का है अपितु वाद विचारित भूमि पर अतिक्रमण कर नवीन निर्माण कार्य कराया जा रहा था जिसे नायव तहसीलदार ने स्थगन जारी करके रूकवाया है जिसके कारण आवेदकगण व्दारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–5–03 में अंकित किया है कि इसी भूमि पर सार्वजनिक हित में कूप खनन हेतु मान. सॉसद लोकसभा रीवा से स्वीकृति भी प्राप्त हुई है । नजरी नक्शा राजस्व निरीक्षक व्दारा तैयार किया गया है जिसमें लालस्याही से निशान अंकित किया गया है जिसमें पक्का मकान तैयार किया जा रहा है और उसीके ठीक आगे शासकीय भूमि पर पत्थर रखकर अपीलार्थी व्दारा नया निर्माण किया जा रहा है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की स्थल जांच हुई है एंव आवेदकगण जानबूझकर शासकीय भूमि पर निर्माण करके अतिक्रमण करते पाये गये है। नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ 68/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर व्दारा प्रकरण कमांक 126 अ–68/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–2003 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 369/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–1–2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 369/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–1–2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर